

प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00156/2021-2022

दिनांक 19/05/2021



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या:R/SKN/00918/2021-2022

पत्रावली संख्या:G-48324

दिनांक:2010-2011

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि गोकुल एजुकेशनल एण्ड पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी, आरओ केओ पुरम बंजरिया पश्चिमी खलीलाबाद जनपद-संतकबीरनगर, संत कबीर नगर, 272175 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या-1794/2010-2011 दिनांक-16/03/2011 को दिनांक-16/03/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रुपये की नवीनीकरण फीस सभ्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(AJAY KUMAR SHAHI)
312B4F4793C97A2B162F6F771F04D43EDB573E5B

Date: 19/05/2021 12:49:55 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-19/05/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Principal
CITY PUBLIC SCHOOL
Rly. Station Road, Khalilabad
Sant Kabir Nagar

महेश मिश्रा
Mahesh Mishra
CITY PUBLIC SCHOOL
Rly. Station Road, Khalilabad
Sant Kabir Nagar


स्मृति पत्र

- 1: संस्था का नाम - गोकुल एजूकेसनल ऐंड पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी
(GOKUL EDUCATIONAL AND PUBLIC WELFAIR SOCIETY)
- 2: संस्था का पता - आर० के० पुरम , बंजरिया (पश्चिमी) , खलीलाबाद
जिला- सन्त कबीर नगर पिन - 272175
- 3: संस्था का कार्य क्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
- 4: संस्था का उद्देश्य

- 1) बालक/बालिकाओं के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों / महाविद्यालयों की स्थापना करना ।
- 2) बालक/बालिकाओं के वस्तुईक विकास के लिए औद्योगिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, अभियांत्रिक शिक्षा (इंजीनियरिंग), प्रबन्धकीय शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं कम्प्यूटर शिक्षा हेतु विद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थापना करना ।
- 4) समाज में एड्स के दुष्प्रभाव एवं उसके बचाव के तरीकों के बारे में प्रचार प्रसार करना तथा इस क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना ।
- 5) बालकों एवं सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के अर्थसहाय के लिए कार्य करना तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना ।
- 6) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक/केन्द्रीय अल्पसंख्यक आयोग व बर्मादेश देश, विदेश की अन्य संस्थाओं के माध्यम से धन प्राप्त कर उनके हित के लिए स्कूल /कालेजों की स्थापना करना एवं ट्रेनिंगसेन्टरों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना ।
- 7) जनहित में जलसे, समारं, प्रसक्शनक्रॉस, तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करना ।
- 8) सभी वर्गों के लिए चिकित्सा की सस्ती व सुलभ व्यवस्था करना हेतु अस्पताल की स्थापना करना । तथा समय समय पर शिविरों के माध्यम से ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सीय जांच एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना । परिवार नियोजन व परिवार कल्याण की योजनाओं का संचालन करना, एवं पोलियो व हेपेटाइटिस आदि से बचाव एवं उपचार की समुचित व्यवस्था करना ।




Krishna
श्रीमान् श्री...
श्रीमान् श्री...
श्रीमान् श्री...


Principal
CITY PUBLIC SCHOOL
 Rly. Station Road, Khalilabad
 Sant Kabir Nagar


Manager
CITY PUBLIC SCHOOL
 Rly. Station Road, Khalilabad
 Sant Kabir Nagar

और इससे सम्बन्धित सरकारी योजनाओं का संचालन करना तथा उनका सहायता करना ।

- 9) आम जनता के लिए जनहित में पुस्तकालय, बर्माथ विविक्तसालय, सेंट्रल, अनाथालय, नारी अथान ग्रह एवं मूक वीधियों के लिए निःशुल्क विद्यालय की स्थापना करना ।
- 10) प्राथमिक एवं द्वैतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, सूखा, हंगर, प्लेग, चेचक, तपेदिक (क्षय रोग), गस्तिष्क ज्वर आदि बीमारियों, महामारी व अन्य प्रकार के कठिनाइयों में शासन प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करना ।
- 11) विज्ञान, साहित्य, कला, पर्यावरण, वाणिज्य के क्षेत्र में शिक्षण / प्रशिक्षण व शोध से सम्बन्धित संगठनों की स्थापना करना ।
- 12) समाज कल्याण बोर्ड, महिला कल्याण बोर्ड, वित्त एवं विकास निगम, राज्य विकास आभिकरण, जिला ग्राम्य विकास आभिकरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग, स्वाधी ग्रामोद्योग का संचालन, आयोग एवं स्वाधी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्य/प्रदत्त योजनाओं, कुटीर उद्योगों का संचालन, प्रशिक्षण, प्रचार व प्रसारण एवं सरकार/शासन द्वारा प्रदत्त नगर ग्राम हित योजनाओं का संचालन करना एवं हर संभव अवसर पर आवश्यकता अनुसार सरकार/शासन से आर्थिक सहयोग व प्रेरण प्राप्त करना ।
- 13) परिवार कल्याण एवं स्वस्थ कार्यक्रमों को गावों में व्यापक स्तर पर संचालन करना वित्त के अभाव में सहयोग प्रदान करना, कुष्ठ रोगियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करना तथा रेडक्रास सोसाइटी की योजनाओं में सक्रिय भाग मिलकर जन साधारण को सुविधा प्रदान करना ।
- 14) बाल विकास एवं बाल विविक्तता के, बुनियादी तथा अन्य सरकारी एवं समाजिक संस्थाओं के माध्यम से सहयोग / प्रेरण प्राप्त करना व उनसे मिलकर विभिन्न कामकाजों को संचालित करना तथा बालभ्रम अभूतन में सहयोग करना ।
- 15) वन संरक्षण एवं वृक्षाभरण कार्यक्रमों का संचालन करना व कड़वां तथा इस क्षेत्र में सरकार का सहयोग करना ।
- 16) आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समा वर्गों के लिए निःशुल्क काजूनी सहायता उपलब्ध कराना तथा विश्व शांति एवं मानवता के मूलवादी कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य करना व उनको सफल बनाना ।



जयप्रकाश मिश्र
 शिक्षक
 रीगा भिगा
 जयप्रकाश मिश्र

Principal
 CITY PUBLIC SCHOOL
 Rly. Station Road, Khalilabad
 Sant Kabir Nagar

Mahager
 CITY PUBLIC SCHOOL
 Rly. Station Road, Khalilabad
 Sant Kabir Nagar

5- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम व पिता / पति के नाम, पद तथा व्यवसाय निम्नको संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया।

क्रम संख्या	नाम व पिता /पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	सीमा मिश्रा पुत्री श्री राम दर्शन पांडेय	आर०के०पुरम,वंनरिया(पश्चिमी) खलीलाबाद, जिला: सतलु कबीर नगर, ३० ५०, पिन- 272175	प्रबन्धक/मं०त्री	समान सेवा
2	राम देव मिश्र पुत्र स्व० श्री राम पति मिश्र	शिलापुर सहबाज जंज, जंज रोड म० जं०५९,प०: जंजल साहिबागम जिला: औरंगापुर, ३० ५०	उपाध्यक्ष	समान सेवा
3	राम दर्शन पुत्र श्री शिव मंगल	वंनरिया, खलीलाबाद जिला: सतलु कबीर नगर	उपाध्यक्ष	समान सेवा
4	कृष्ण कुमार मिश्र पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद मिश्र	ग्राम व पोस्ट: गापाल पुर जिला: फैजाबाद, ३०५०	उपाध्यक्ष	समान सेवा
5	कृष्ण चंद्र मिश्र पुत्र श्री भास्कर नाथ मिश्र	ग्राम: पिपरा गांविक, प०: कोहरियावां वाया संगरियावां, सतलु कबीर नगर	उपाध्यक्ष	नोकरी
6	जया पांडेय पत्नी श्री सुधीर कुमार पांडेय	आर०के० पुरम, वंनरिया खलीलाबाद, जिला: सतलु कबीर नगर	सदस्य	समान सेवा
7	रोन मिश्रा पत्नी श्री आनंदेश्वर मिश्र	कमल जं० 427, सतलु कबीर नगर जिला: फैजाबाद, ३० ५०	सदस्य	समान सेवा
8	मिरीश चंद्र पांडेय पुत्र श्रीरमापति पांडेय	सुखन चंड नगर, औरंगापुर ३० ५०	सदस्य	समान सेवा
9	पारस नाथ पांडेय पुत्र श्री राज कुमार पांडेय	पुनर्वासा, मुहं सुखपुर, शिलापुर जंज वंनरिया, औरंगापुर, ३० ५०	सदस्य	समान सेवा
10	जय प्रकाश मिश्र पुत्र श्री सतिशकुमार मिश्र	ग्राम: कुं नगर, प०: लीमड, जिला: सिद्धाबाद ३० ५०	सदस्य	समान सेवा
11	सुखेंद्र पांडेय पुत्र स्व० श्री अनंदेश्वर पांडेय	ग्राम: रामपुर, प०: जंजल जंज नगर, औरंगापुर, ३० ५०	सदस्य	समान सेवा

6- हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने उपरोक्त अंगी पत्र तथा संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत एक संस्था का गठन किया है।

दिनांक... 01/3-11

रामदेव मिश्र

Kaisho

उपाध्यक्ष

श्री सीमा मिश्रा

11111111111111

सत्य - प्रतिपत्ति

26/6/14
Principal

CITY PUBLIC SCHOOL
Rly. Station Road, Khalilabad
Sant Kabir Nagar

हस्ताक्षर

श्रीमा मिश्रा

संभारिणी

Jaya

उपाध्यक्ष

जय प्रकाश मिश्र

रिन्द पांडेय

26/6/14
Manager
CITY PUBLIC SCHOOL
Rly. Station Road, Khalilabad
Sant Kabir Nagar

नियमावली

- 1:-संस्था का नाम - गोकुल एजुकेशनल ऐंड पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी
(GOKUL EDUCATIONAL AND PUBLIC WELFAIR SOCIETY)
- 2:-संस्था का पता - आर० के० पुरम , बंजरिया (पश्चिमी) , खलीलाबाद
जिला- सन्त कबीर नगर पिन - 272175
- 3:-संस्था का कार्य क्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
- 4:-संस्था की सदस्यता तथा सदस्य के वर्ग -
आजीवन सदस्य- जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से रु०2100/ रुमा वह संस्था को आजीवन सदस्य होगा ।
साधारण सदस्य- जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से पाँच वर्ष 100रु० प्रदान करता रहेगा वह संस्था को साधारण सदस्य होगा ।
- 5:-सदस्यता की समाप्ति -
1) मृत्यु होने पर
2) अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र देने पर
3) पागल या दिवंगतिया होने पर
4) संस्था द्वारा को विरहित कार्य करने पर
5) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर
- 6:-संस्था के अंग -
अ- साधारण सभा
ब- प्रबन्धन समिति
- 7:- साधारण सभा -
1) बैठक - सभा प्रबन्धन की सदस्य प्रबन्धन साधारण सभा को बैठक करेगा ।
साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी । और विशेष बैठक किसी की समय आवश्यकता पड़े तो भी बुलाई जा सकती है ।
2) सूचना अवधि - साधारण सभा को बैठक की सूचना सभी सदस्यों को बैठक से 10दिन पूर्व ही जाएगी । तथा विशेष बैठक प्रबन्धक/मन्त्री आवश्यकता अनुसार चौबीस घंटे की पूर्व सूचना पर कभी भी बुला सकता है ।
3) गण पूर्ति - साधारण सभा को कानून सदस्यों को साथ से अधिक सदस्यों की उपस्थिति ही गण पूर्ति होगी । एक बार बैठक के आभाव में सभा स्थगित हो जाने पर अगले बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।
4) वार्षिक अहिवेशन की तिथि - साधारण सभा को वार्षिक अहिवेशन वर्ष में एक बार होगा । जिसकी तिथि प्रबन्धक/मन्त्री द्वारा तय की जाएगी ।
5) साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार-



Kushra
Principal

श्रीमानिन्द्रा
समन्वयक

Principal
CITY PUBLIC SCHOOL
Rly. Station Road, Khaliilabad
Sant Kabir Nagar

७.

Manager
CITY PUBLIC SCHOOL
Rly. Station Road, Khaliilabad
Sant Kabir Nagar

- अ- प्रबन्धकारिणी समिति को 5 वर्ष के लिए निर्दिष्ट करना ।
- ब- संस्था को वार्षिक बजट पास करना ।
- स- 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा संशोधन प्रोत्साहित करना ।

8:- प्रबन्धकारिणी समिति

- 1) गठन - प्रबन्धकारिणी समिति के गठन में प्रबन्धक/मन्त्री, उप प्रबन्धक, अध्याक्ष, उपाध्यक्ष, वक्ता/अध्यक्ष तथा वक्ता/कारिणी सदस्य होंगे । इसमें पाँच पदाधिकारी तथा छः कार्यकारिणी सदस्य होंगे । पदाधिकारी का निर्वाचन साधारण रीति द्वारा किया जाएगा । इस प्रकार चुने संस्था व्यापक होगी जो आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है ।
- 2) बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी । परन्तु विशेष बैठक आवश्यकता अनुसार प्रबन्धक/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है ।
- 3) सूचना अवधि - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिनों पूर्व दी जाएगी परन्तु विशेष बैठक आवश्यकता अनुसार प्रबन्धक/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है ।
- 4) गणपूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति के लिए प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों का 1/2 होना चाहिए । एक बार गणपूर्ति का अभाव में बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलाई गई दूसरी बैठक के लिए गणपूर्ति का प्रतिबन्ध नहीं होगा ।
- 5) रिक्त स्थानों की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमति रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रबन्धक/मन्त्री, वक्ता/अध्यक्ष के रूप में स्वयं कर लेना जो बाद में आवश्यकता अनुसार कार्यकारिणी सदस्यों में से निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा ।
- 6) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य -
 - अ- प्रत्येक प्रकार के निष्ठाकारिता पर अपनी वार्षिक बैठक में संवेदन देना
 - ब- संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना ।
 - स- निष्ठाकारिता में परिवर्तन करना ।
- 7) कार्यकाल - प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा परन्तु कभी कार्यकारिणी के बहुमत बहुमत करने तक यह कार्य करती रहेगी ।



9: प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का कर्तव्य एवं अधिकार -

- 1) अध्यक्ष -
 - अ- समस्त बैठकों का अध्यक्षता करना ।
 - ब- बैठकों के लिए विधेय व समय निर्दिष्ट करना ।
 - स- बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व निभाना ।
 - द- किसी विवादग्रस्त मामले में निर्णायक मत देना तथा उत्तरदायित्व निभाना ।
 - इ- संस्था की उन्नति के लिए कार्य करना ।
- 2) उपाध्यक्ष - अध्यक्ष के अनुपस्थिति में अध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग करना ।

Kushal

Principal

[Signature]

रहीमागि 97

Manager

Principal
CITY PUBLIC SCHOOL
Rly. Station Road, Khalilabad
Sant Kabir Nagar

Manager
CITY PUBLIC SCHOOL
Rly. Station Road, Khalilabad
Sant Kabir Nagar

3) प्रबन्धक/मन्त्री

- अ प्रबन्धक/मन्त्री समिति एवं साधारण सभा की बैठक/सम्मेलन/सम्मेलन/सम्मेलन
- ब संस्था के मुख्य कार्यपालक को जमा में करना करना।
- स संस्था के वल आचलन समितियों का रखा रखा करना
- द संस्था के मुकदमों को पैरवी करना व करना। तथा बिल एवं वापसों को चेक करना।
- य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यापक, कर्मचारी, छात्र एवं अनुदान प्राप्त करना।
- र अमला बिल एवं वापसों को चेक करना।
- ल कर्मचारियों को नियुक्त एवं प्रोन्नति नियमावली द्वारा करना।
- व पारित बजट को अनुमोदित व्यय को स्वीकृत करना।
- श संस्था के सदस्यों तथा प्राधिकाधिकारियों द्वारा अनौचित्य कार्य किए जाने पर अथवा संस्था के हित को प्रतिबन्धित कार्य किए जाने पर प्रबन्धक/मन्त्री समिति के विचारोपसक्त उन्हें हटाने का निर्णय करना।
- ष अन्य कार्य कार्य जो प्रबन्धक/मन्त्री समिति द्वारा तय किया जाए।



4) उपप्रबन्धक
5) कोषाध्यक्ष

- अ संस्था के लिए वल एकत्रित करना।
- ब संस्था के कोष को किसी मायता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम जमा करना।

- 10:-संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन -संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रोद्गता साधारण सभा के सभी सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर होना।
- 11:-संस्था का कोष -संस्था का कोष किसी मायता प्राप्त बैंक में जमा किया जाएगा। जिसका संवालय प्रबन्धक/मन्त्री और कोषाध्यक्ष को संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
- 12:-संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण - संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रबन्धक/मन्त्री समिति के तय से किसी मायता प्राप्त लेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा।
- 13:-संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व - अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध होने वाले मुकदमों को पैरवी प्रबन्धक/मन्त्री के द्वारा अथवा उसके द्वारा नामित प्रबन्धक/मन्त्री समिति के किसी सदस्य /प्राधिकाधिकारी द्वारा की जाएगी।
- 14:-संस्था के अमिलेख - संस्था में निम्न शामिल होंगे।
 - 1) सहायक लेखक
 - 2) कार्यवाही लेखक
 - 3) सचिव लेखक
 - 4) सूचना लेखक
 - 5) कौशल्यक आदि

Kishra
 प्रबन्धक/मन्त्री

[Signature]

सीमा मिश्रा
 कोषाध्यक्ष

Principal
 CITY PUBLIC SCHOOL
 Rly. Station Road, Khalilabad
 Sant Kabir Nagar

Manager
 CITY PUBLIC SCHOOL
 Rly. Station Road, Khalilabad
 Sant Kabir Nagar

15:-संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही - संस्था के विघटन की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जाएगी।

सत्य प्रतिलिप

दिनांक 01-3-11

श्रीमान श्रीमान
श्रीमान श्रीमान
श्रीमान श्रीमान
श्रीमान श्रीमान
श्रीमान श्रीमान



हस्ताक्षर
श्रीमान श्रीमान
श्रीमान श्रीमान
Jasvir
Pomday
जय प्रकाश मिश्र
श्रीमान श्रीमान

सत्य - प्रतिलिप
02/6/11
सहायक रजिस्ट्रार
सर्वे सौकर्यार्थी तथा शिक्षक
02/6/11 खोरबपुर

प्रतिलिप करी
समान करी 26/6/11

Principal
CITY PUBLIC SCHOOL
Rly. Station Road, Khalilabad
Sant Kabir Nagar

Manager
CITY PUBLIC SCHOOL
Rly. Station Road, Khalilabad
Sant Kabir Nagar